# BCCI BULLETIN

Vol. 53 | OCTOBER 2022 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# माननीय उद्योग मंत्री, बिहार के साथ उद्यमी संवाद आयोजित

माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ का पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार के साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की एक उद्यमी संवाद चैम्बर प्रांगण में दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुआ जिसमें उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने उद्योग से संबंधित कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने उद्योग मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास में उद्योग मंत्री की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। राज्य में अधिकाधिक निवेश हो, ज्यादा–से–ज्यादा लोगों को रोजगार मिले तथा आर्थिक विकास की गति और तेज हो, इस दिशा में माननीय उद्योग मंत्री जी का प्रयास काफी सराहनीय है। उन्होंने बियाडा के भूमि पर 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की छूट एवं राज्य में सर्विस सेक्टर को भी भूमि के आवंटन किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उद्योग विभाग का नेतृत्व आपके हाथों में आने से राज्य के व्यवसायियों में एक नई उर्जा का संचार हुआ है क्योंकि व्यवसायी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप स्वयं व्यवसाय के क्षेत्र से भी जुड़े हैं और आपको इस क्षेत्र का लम्बा अनुभव भी है । उद्यमियों एवं व्यवसायियों की समस्याओं से आप अच्छी तरह से अवगत भी है इसलिए हमसभी आश्वस्त हैं कि राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आपके स्तर से हर संभव प्रयास जारी रहेगा।

इस अवसर पर चैम्बर के इंडस्ट्री सब कमिटी के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया गया, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नांकित हैं :–

1. अमृतसर–दिल्ली–कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर गया और कैमूर के बीच कम–से–कम दो औद्योगिक शहर स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए।
2. उद्यमियों के प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।
3. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या

माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ का अगंवस्त्रम से सम्मान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन,
महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
उनकी बाँयीं ओर माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ,
महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।
दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन,
उद्योग उपसमिति के संयोजक श्री सुमाष कुमार पटवारी
एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपसमिति के संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा।

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित ''संवाद'' सभाकक्ष, पटना में दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को Investors Meet 2022 का आयोजन किया गया। **इस संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ सहित बिहार सरकार के वरीय पदाधिकारी सहित उद्योगपति शामिल हुए। इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से मैंने भाग लिया।**

**माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को ''उद्यमी संवाद''** का आयोजन किया गया। बैठक काफी उपयोगी रही। इस बैठक की संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित की गयी है।

**चैम्बर द्वारा जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल, पटना के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को सदस्यों एवं कर्मियों को प्राथमिक चिकित्सा एवं सी0पी0आर0 का प्रशिक्षण दिया गया।** मेदांता के चिकित्सक डॉ0 अजय कुमार एवं डॉ0 शुभलेश कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में अचानक हृदयगति रूक जाने के बाद जीवन रक्षा करने के लिए CPR तकनीक की जानकारी दी। एसडीआरएफ के कर्मियों ने प्रैक्टिकल करके विस्तार पूर्वक CPR करने की विधि को समझाया।

**इंडियन ओवरसीज बैंक ने बिहार की अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांग को पूरा करने और अपने ग्राहकों को सीमा पार लेन–देन की सुविधा प्रदान करने हेतु राजधानी पटना में पहली अधिकृत डीलर शाखा का उद्घाटन दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 को किया।** इस शाखा का उद्घाटन मैंने किया। इस शाखा में ग्राहकों को आयात–निर्यात संबंधित लेन–देन, प्रवासी भारतीयों को लगभग सभी विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

**दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (ICAI), पटना चैप्टर द्वारा MSME YATRA AND MSME SETU कार्यक्रम** के क्रम में चैम्बर के सभागार में भी एक कार्यक्रम दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन मेरे और एमएसएमई, पटना के निदेशक श्री प्रदीप कुमार तथा ICAI के पदाधिकारियों द्वारा किया गया।

हमारे लिए खुशी की बात है कि **बरौनी खाद कारखाने में 20 साल बाद पुनः यूरिया का उत्पादन और मार्केटिंग भी शुरू हो गया है। बिहार के औद्योगीकरण में यह काफी महत्वपूर्ण होगा।**

हाल ही में निवेश प्रोत्साहन पर्षद की 42वीं बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411.41 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये हैं। इनमें चेनारी रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है। इथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। उद्योग विभाग के मुताबिक बैठक में कुल 499 करोड़ के 51 निवेश प्रस्तावों को First Clearance दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिले में इथेनॉल प्लांट 300 KLPD के है। **यह पूरी तरह अनाज आधारित होगा। यह उच्च प्राथमिकता वाला निवेश होगा।**

इसके अतिरिक्त मैदा, सूजी, फिश फीड, शुगर कन्फैक्शनरी, वेयर हाउस, शीत गृह, कुकीज एण्ड ब्रेड में भी निवेश किया जाना है। खाद्य प्रसंस्करण की इकाईयॉ पटना, भागलपुर,रोहतास, अररिया व सीतामढ़ी केंद्रित है। इसके अलावा इनमें 33.41 करोड़ के प्रस्ताव राइस मिल के हैं जो गया, नालंदा, मुंगेर व पश्चिम चम्पारण में प्रस्तावित हैं। **ये सभी इकाइयॉ चालू हो जाने से बिहार के औद्योगीकरण में अहम भूमिका निभाएंगी।**

राज्य सरकार नये उद्यमियों को भूखंड आबंटित करेगी। इसके लिए बियाडा ने पूर्व के चार औद्योगिक क्षेत्रों हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और जहानाबाद में 17 भूखंडों को उद्यमियों को देने का फैसला किया है। यह जानकारी देते हुए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक ने बताया कि इन चार औद्योगिक क्षेत्रों में 55605 वर्गफीट भूखंड उद्यमियों के लिए रखा गया है। जो टेक्सटाइल एवं लेदर उत्पादों के लिए आरक्षित हैं। टेक्सटाइल नीति के तय प्रावधानों के तहत इंसेंटिव भी मिलेगा। यह भूखंड महज 4 से 6 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 15 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा।

**नये उद्यमियों के लिए यह सरकार की अच्छी मंशा है। इससे उद्यमियों का कारोबार तो बढ़ेगा ही, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक समृद्धि भी होगी।**

बिजली की दरों में वृद्धि पर BERC ने अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है। निर्णय में क्या होगा यह तो निर्णय के बाद ही पता चलेगा।

**यह भी खुशी की बात है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था प्री–कोविड की स्थिति में आ गयी है। 2021–22 में राज्य की विकास दर 10.98% पहुँच गयी है जबकि 2020–21 में निगेटिव ग्रोथ रहा था। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार से आगे आंध्र प्रदेश और राजस्थान ही है। विकास दर में बढ़ोत्तरी से राज्य के लोगों के लिए जहाँ नौकरी एवं रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी होगी, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। अभी वर्त्तमान में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 5055 रूपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 8665 रूपये है।**

सितम्बर 2022 में जीएसटी संग्रह 1.47 लाख करोड़ रूपये रहा। वित मंत्रालय के मुताबिक एक वर्ष पूर्व समान अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रह में 26% की वृद्धि रही है। **जीएसटी संग्रह मे लगातार वृद्धि रहना देश के राजस्व प्राप्ति में शुभ संकेत है।**

1 सितम्बर, 2022 से न्यूनतम मजदूरी का रिविजन हुआ है, जिसमें 15% की वृद्धि की गयी है एवं दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (VDA) में 20% की वृद्धि की गयी है। VDA की दर इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

बिहार में नयी सरकार के गठन के पश्चात् **चैम्बर की ओर से पुनः State Ground Water Authority के गठन का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उद्योग मंत्री से पूर्व की भांति उद्यमी पंचायत प्रारम्भ कराये जाने का पुनः अनुरोध किया गया है।**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में युवक–युवतियों के लिए डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (DCA) का कोर्स पुनः प्रारम्भ होने जा रहा है। 10 अक्टूबर से DCA नांमाकन हेतु आवेदन पत्र दिया जा रहा है। ध्यातव्य है कि DCA कोर्स का प्रशिक्षण 2015 से लगातार संचालित था जिसे कोरोना महामारी के कारण बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। **चैम्बर का यह प्रयास है कि अधिकाधिक युवक–युवतियाँ DCA का कोर्स करके कम्प्यूटर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनायें ताकि उन्हें रोजगार प्राप्ति में आसानी हो।**

सादर,

आपका
पी0 के0 अग्रवाल
अध्यक्ष

उद्यमियों एवं व्यवसायियों को संबोधित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ। उनकी दाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष, श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं उद्योग उपसमिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी। बाँयी ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

टैली कोर्स के सफल प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण–पत्र प्रदान करते माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ को चैम्बर का मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल।

है। यह सहज रूप में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।
5. चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनायी जानी चाहिए।
6. बिजली की दर का पुनरनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके। ONE NATION ONE TARIFF को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए या बिहार सरकार को बिजली की दरों को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष कराना चाहिए।
7. राज्य के लिए भूजल प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए इससे उद्यमियों को सुविधा के साथ–साथ राज्य को राजस्व की प्राप्ति होगी।
8. सरकार को रिजर्व बैंक अथवा अन्य माध्यम से बैंकों पर दबाव बनाकर राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए। सरकार के स्तर पर वार्त्ता करके कम–से–कम पब्लिक सेक्टर बैंक का हेड क्वार्टर बिहार में खोलने का आग्रह किया जाना चाहिए।
9. राज्य में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाना चाहिए।
10. राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का क्षेत्रवार गठन किया जाये ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पाद के निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा मिल सके।
11. बिहार में उद्योगों के विस्तार हेतु विभिन्न एमएसएमई के कलस्टर की संभावना के विकास पर विचार करना चाहिए :–

चनपटिया में जिस प्रकार से टेक्सटाइल का काम बढ़ा है एवं क्लस्टर के रूप में विकसित किया है उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों को भी चिन्हित करके कलस्टर के कनसेप्ट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(i) एलईडी बल्व कलस्टर– पटनासिटी
(ii) बर्तन कलस्टर– परेव/भोजपुर
(iii) पावरलुम कलस्टर– मानपुर, गया
(iv) मोल्डिंग इण्डस्ट्री– नवादा
(v) कालीन हस्तकला उद्योग– ओबरा
(vi) सिल्क–तसर कपड़ा हस्तकला उद्योग–कादिरगंज (नवादा)
(vii) कॉटन कपड़ा हस्तकला उद्योग–सिगोरी; पालीगंज, (पटना)
(viii) बिहार के विभिन्न स्थानों पर चमड़ा (Leather), रेडीमेड गार्मेन्ट एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का कलस्टर बनाया जाना चाहिए ।

12. उद्योग विभाग की ओर से राज्य में उद्योगों के विकास हेतु कुछ अधिकारियों को आगामी 3 से 5 साल की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का MSME में निवेश लाने हेतु Target दिया जाना चाहिए एवं इसकी प्रगति का आकलन समय–समय पर किया जाना चाहिए। उद्योग विभाग के पदाधिकारियों को उद्योगों का

माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ को चैम्बर का ''कॉफी टेबुल बुक'' भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी

Regulator के रूप में कार्य न करके उसके एसोसिएट के रूप में कार्य करना चाहिए।

माननीय उद्योग मंत्री ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि आने वाले दिनों में उद्यमी एवं औद्योगिक घरानों को उद्योग लगाने के लिए भूमि आधारभूत संरचना तैयार कर आवंटित किया जायेगा। साथ ही औद्योगिक इलाके की आधारभूत संरचना के लिए बियाडा को 250 करोड़ रूपये का फंड दे दिया गया हैं। उम्मीद है कि आने वाले साल में औद्योगिक इलाके का पूरा परिदृष्य बदल जायेगा।

उन्होंने कहा कि वक्त बदलने के साथ उद्योग नीति में भी बदलाव लाना अनिवार्य हो गया है। हमारा प्रयास होगा कि कोई नीति बने तो लम्बे समय के लिए बने जिससे कि उद्यमियों को परेशानी न हो, राज्य के सभी जिला में लैण्ड बैंक बनाया जाएगा, प्रोत्साहन राशि से संबंधित जो भी उद्यमियों का बकाया है उसका भुगतान के संबंध में फाइल आगे बढ़ा दी गयी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स का प्रावधान होना चाहिए तभी जीएसटी सार्थक साबित होगा। इस वक्त बिहार के कारोबारियों को पांच तरह का टैक्स देना पड़ रहा है।

कार्यक्रम में माननीय उद्योग मंत्री ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित टैली कोर्स के दूसरे बैच के सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किया।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय उद्योग मंत्री जी को प्रतीक चिह्न एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल के अतिरिक्त सम्मानित सदस्य ए. के. पी. सिन्हा, रामाशंकर प्रसाद, आशीष शंकर, संजय भरतिया, राजेश खेतान, सुनील सराफ, पी. के. सिंह, सुबोध कुमार जैन, विवेक साह, पशुपति नाथ पाण्डेय, राजा बाबू गुप्ता, सच्चिदानन्द, अनिल पचीसिया, सावल राम ड्रोलिया, राजेश मखारिया, अजय गुप्ता के साथ–साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया ।

धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

## बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निःशुल्क डीसीए कोर्स प्रारंभ

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं एवं युवतियों के लिए निःशुल्क डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) का कोर्स एक बार फिर प्रारंभ होने जा रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि 10 अक्टूबर से डीसीए कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन मिलेगा। जो भी डीसीए का कोर्स करने के इच्छुक हों, चैम्बर कार्यालय से पूर्वाह्न 11.30 से शाम 5 बजे तक नामांकन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। चैम्बर में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) कोर्स का प्रारंभ वर्ष 2015 हुआ था, जिसे कोरोना महामारी के चलते बीच में स्थगित करना पड़ा था।

**(साभार : प्रभात खबर, 9.10.2022)**

## सिर्फ मशीन लगाकर उद्यमी शुरू कर सकते हैं उत्पादन

बिहार के नौ जिलों में उद्यमी सिर्फ मशीन व उपकरण लगाकर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 24 लाख स्क्वेयर फुट पर प्लग एंड प्ले इंन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यहाँ उद्यमी जगह आवंटित करा कर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह बिहार भी उन विशेष राज्यों में शुमार हो गया है, जहाँ औद्योगिक उत्पादन के लिए इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया गया है। हालांकि अभी यह सुविधा सीमित जगहों पर ही है। प्लग एण्ड प्ले औद्योगिक शेड की सुविधा पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, वैशाली, भागलपुर, सहरसा और नालन्दा में तैयार की गयी है। 'प्लग एंड शेड' निर्माण का उद्देश्य उन छोटे–छोटे उद्यमियों की मदद करना है, जो जमीन के अभाव में फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ उन्हें फैक्टरी लगाने के लिए शेड के साथ–साथ बिजली–पानी भी मिलेगा।

### प्लग एण्ड प्ले की सुविधा इन औद्योगिक क्षेत्रों में

| क्षेत्र | एरिया | क्षेत्र | एरिया | क्षेत्र | एरिया |
|---|---|---|---|---|---|
| सिकंदरपुर | 4.5 | मुजफ्फरपुर | 4.2 | हाजीपुर | 1.4 |
| फतुहा | 1.12 | बेगूसराय | 3 | भागलपुर | 1.2 |
| पाटलिपुत्र | 0.7 | मरंगा | 2 | बिहारशरीफ | 0.3 |
| बिहटा | 0.5 | गौरुल | 2.5 | (एरिया : लाख स्क्वेयर फीट में) | |

**75 करोड़ खर्च किये गये हैं शेड्स के निर्माण में :** 'प्लग एण्ड प्ले' के तहत प्री–फेब्रीकेटेड शेड का निर्माण किया जाता है। यहाँ उद्यमी सिर्फ उपकरण लगाकर फैक्ट्री शुरू कर सकेंगे। इन शेड्स के निर्माण में करीब 75 करोड़ से अधिक रुपये खर्च किये गये हैं। जानकारी के मुताबिक प्लग एण्ड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए छोटे एवं लघु उद्यमियों ने खासी रुचि दिखायी है।

यहाँ कपड़ा निर्माण, चमड़े का सामान, पैकेजिंग मैटेरियल, सैनेटरी पैड्स इत्यादि छोटे उद्यम आसानी से लगाये जा सकेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 1.10.22)**

## बड़े उद्योगपतियों को भाया मोतीपुर

बियाडा की ओर से राजधानी में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में देश के बड़े उद्योगपतियों की ओर से मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की रुचि जताई गई है। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे फोरलेन सड़क, डबल लाइन रेल मार्ग, 80 किमी के दायरे में पटना व दरभंगा एयरपोर्ट, 50 किसी के दायरे में मुजफ्फपुर, मोतिहारी व गोपालगंज जैसे बड़े बाजार के अलावा पड़ोसी देश नेपाल भी सटे है। इतना ही नहीं नारायणपुर अनंत व महवल रैक प्वाइंट जैसे उद्योग लगाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगपतियों को लुभा रहे हैं। अडानी ग्रुप व माइक्रोमैक्स फुड प्रोसेसिंग, रिलायंस टेक्सटाइल्स व टीवीएस ऑटोमोबाइल के सेक्टर में निवेश कर सकती है। इनके अलावा अन्य बड़े औद्योगिक समूहों की भी मोतीपुर के साथ–साथ मुजफ्फरपुर पर नजर है। इन कंपनियों की टीम जल्द जिले का दौरा कर सकती है।

**सीएम की पहल से उम्मीदें बढ़ी :** बिहार में निवेश के लिए मुख्यमंत्री की पहल का उद्योग जगत पर सकारात्मक असर पड़ा है। इन्वेस्टर्स मीट से चार दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने दो मंत्रियों व दो प्रधान सचिव के साथ मुजफ्फरपुर के बेला व मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया था। सीएम की पहल की उद्यमियों की ओर से सराहना की जा रही है। बियाडा की टीम मुंबई समेत देश के अन्य औद्योगिक शहरों में लगातार उद्योगपतियों से संपर्क साध रही है।

**900 एकड़ में आद्योगिक क्षेत्र :** बियाडा के कार्यकारी निदेशक रविरंजन प्रसाद ने बताया कि इंवेस्टर्स मीट में बड़े उद्योगपतियों की ओर से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई गई है। 900 एकड़ भूखंड में फैले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को बड़े उद्योगों के लिए आवंटित किया जा सकता है। उद्योग लगाने के लिए मोतीपुर में पानी, कच्चे माल

# बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

**इन्वेस्टर्स मीट–2022 का दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय वित्त मंत्री बिहार श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, मुख्य सचिव, बिहार, श्री अमीर सुबहानी, भा0प्र0से0, विकास आयुक्त, बिहार श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0, अपर सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, श्री संदीप पौड्रिक, भा0प्र0से0।**

**इन्वेस्टर्स मीट में शामिल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।**

बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 29 सितम्बर 2022 को उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय के संवाद सभागार में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया गया।

इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में माननीय उप–मुख्यमंत्री, बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय वित्त मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ, मुख्य सचिव, बिहार श्री आमिर सुबहानी, भा.प्र.से., विकास आयुक्त, बिहार श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से., प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री संदीप पौंड्रिक, भा.प्र.से. समेत कई उद्योगपति शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने किया।

के अलावा श्रम बल व अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। जल्द ही कंपनियों की टीम मुजफ्फरपुर आएगी।

**मुजफ्फरपुर में लगेंगी 50 नई फैक्ट्रियाँ :** बेला औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी 42 इकाइयों की 35 एकड़ जमीन पर नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी। इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने तैयारी तेज कर दी है और उद्यमियों से प्रस्ताव की मांग की है। उद्यमियों की ओर से फैक्ट्री लगाने के लिए आने वाले प्रस्तावों पर छह अक्टूबर को पटना में होने वाली बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।

निरीक्षण के दौरान उत्पादन जारी नहीं रखने वाली इकाइयों से वापस ली गई जमीन पर नई फैक्ट्री खुलने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तीन हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल, वापस ली गई जमीन पर बियाडा कब्जा कर चुका है। विवाद के मद्देनजर बंद हो चुके उद्योगों की दीवार पर बियाडा अपना सूचना बोर्ड भी लगा चुका है। 35 एकड़ जमीन पर करीब 50 फैक्ट्री खोलने की तैयारी की जा रही है। जमीन आवंटन में बियाडा द्वारा अधिक रोजगार देने वाले फैक्ट्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

**फूड प्रोसेसिंग की इकाई के लिए आए प्रस्ताव :** बेला औद्योगिक क्षेत्र में 50 नई फैक्ट्री खुलने से करीब तीन हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। वापस ली गई जमीन पर सबसे अधिक फूड प्रोसेसिंग की इकाई खोलने के लिए बियाडा के पास प्रस्ताव आया है। फूड प्रोसेसिंग इकाई खुलने से स्थानीय किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। बियाडा के डिप्टी जीएम रविरंजन प्रसाद ने बताया कि वापस ली गई जमीन पर नये सिरे से फैक्ट्री लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.10.2022)**

## उद्योग विभाग : राज्य में विशेष कर्ज शिविर 3 को

उद्योग विभाग ने उद्यमियों को विशेष कैंप लगाकर ऋण स्वीकृत करने और राशि वितरण की योजना बनायी है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3 नवंबर को स्पेशल कैंप लगाने की योजना है। प्रत्येक जिले में ऐसे कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ लाभार्थियों और आवेदकों का ऋण ऑन स्पॉन स्वीकृत होगा और वहीं उसका वितरण भी हो जाएगा। इस कैंप में सभी योजनाओं के लिए लाभुकों का चयन होगा।

सरकार मानती है कि इससे सूबे में स्वरोजगार की प्रवृत्ति के साथ-साथ उद्योग लगाने की रफ्तार बढ़ेगी। लोग ऐसा करने को प्रेरित भी होंगे। विशेष कैंप खत्म होने के बाद उसके परिणाम की पूरी समीक्षा भी होगी।

विभाग इस समय उद्यमियों को लेकर जितनी योजनाएँ संचालित कर रहा है, उससे जुड़े लोग इस कैंप का हिस्सा होंगे। कैंप में विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप ऋण स्वीकृति और वितरण करेगा। विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने इस संबंध में उद्योग निदेशक और महाप्रबंधकों समेत अन्य सारे संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कैंप की पूरी रूपरेखा तैयार करने और उसे गंभीरता से लेने की स्पष्ट हिदायत दी है। उधर, विभाग के निर्देश के बाद जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो गयी है।

उद्योग विभाग का मानना है कि इस विशेष कैंप के कान्सेप्ट से कई तरह की परेशानियाँ दूर होंगी और लाभार्थियों को जगह-जगह की भागदौड़ से भी मुक्ति मिलेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.10.2022)**

# चैम्बर अध्यक्ष ने इंडियन ओवरसीज बैंक पटना ब्रांच के Authorised Dealer Branch का उद्घाटन किया

इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत डीलर ब्राँच का फीता काट कर एवं दीप प्रज्जवलित का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में बैंक के बरीय अधिकारीगण

कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते बैंक के अधिकारी

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल

दिनांक 01 अक्टूबर 2022 को इंडियन ओवरसीज बैंक पटना ब्रांच के स्थापना दिवस के अवसर पर Authorised Dealer Branch का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ से स्वागत् किया गया। चैम्बर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

## 499 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) ने 14.10.2022 को 51 परियोजनाओं पर सहमति प्रदान की। विकास आयुक्त विवेक सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि ये प्रस्ताव 499.30 करोड़ के निवेश से संबंधित हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के अलावा टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ लगेंगी। आईएसपीबी की बैठक में 13 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी दी गयी। इनमें 342 करोड़ की परियोजनाएँ शामिल हैं। इस साल प्रदेश में अबतक निवेश के 216 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 6421 करोड़ का निवेश होगा। इन प्रस्तावों को पिछली बैठकों में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने स्वीकृति दी है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई अलग-अलग बैठकों में इन प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगायी है। इस वर्ष अप्रैल से अब तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की चार बैठकें हो चुकी हैं।

**राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का फैसला :** इस वित्तीय वर्ष में पर्षद की पहली बैठक 13 अप्रैल को हुई। इसमें 250 करोड़ निवेश के 31 प्रस्तावों को सहमति दी गयी। दूसरी बैठक 20 मई को हुई और 3828 करोड़ निवेश के 33 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। तीसरी बैठक 29 अगस्त को हुई। जिसमें 1078 करोड़ निवेश के 48 प्रस्ताव मंजूर हुए।

15 सितम्बर को चौथी बैठक में 765 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2022 )**

# चैम्बर के सदस्यों एवं कर्मियों को दिया गया सीपीआर का प्रशिक्षण

चैम्बर के सदस्यों को सीपीआर की जानकारी देते जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिट हॉस्पीटल के डाक्टर एवं एस.डी.आर.एफ. के कर्मी।

सीपीआर की जानकरी देते जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी के डाक्टर एवं एसडीआरएफ के कर्मी एवं प्रशिक्षित होते चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं अन्य

सी.पी.आर. की प्रायोजिक जानकारी देते एसडीआरएफ कर्मी। साथ में उपस्थिति है - चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महांमत्री श्री अमित मुखर्जी एवं श्री अशोक कुमार।

बिहार चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों एवं कर्मियों को दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को चैम्बर प्रांगण में जयप्रभा मेदानता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटना के विशेषज्ञों द्वारा सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया।

चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन ने अतिथियों एवं मेदांता के चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्डियक अरेस्ट होने पर मरीज की सांस रुक जाती है परन्तु उन्हें तत्काल सीपीआर देने से ब्रेन, हार्ट समेत अन्य अंगों को आक्सीजन की सप्लाई दोबारा शुरू हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर ने आज का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है जिससे कि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें और एक–दूसरे की जान बचाने में मदद कर सकें।

चैम्बर के महामंत्री अमित मुखर्जी ने बताया की मेदांता के चिकित्सक डा० अजय कुमार सिन्हा एवं डा० शुभलेश कुमार ने विपरीत परिस्थितियों में हृदय गति रूक जाने के बाद जीवन रक्षा करने के संबंध में अपनाई जाने वाली तकनीक को अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तार पूर्वक बताया साथ ही एसडीआरएफ के जवानों द्वारा प्रैक्टिकल करके विस्तार पूर्वक बताया गया की किस प्रकार से सीपीआर करना बेहतर होगा।

इस प्रशिक्षण में भाग लेनेवाले प्रतिभागियों को मेदानता कि ओर से प्रमाण–पत्र दिया गया। इस प्रशिक्षण में चैम्बर कि ओर से सचिदानंद, पशुपति नाथ पाण्डेय, आशीष शंकर, आशीष प्रसाद, अजय गुप्ता, सुबोध जैन, ए० एम० अंसारी के साथ–साथ काफी संख्या में सदस्य सम्मलित हुए।

# चैम्बर अध्यक्ष द्वारा आईसीएआई एमएसएमई यात्रा एवं सेतु कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, एम.एस.एम.ई, पटना के निदेशक श्री प्रदीप कुमार, आई. सी. ए. आई. के पदाधिकारीगण एवं अन्य अतिथिगण।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते आई.सी.ए.आई, पटना चेप्टर के उपाध्यक्ष सी. ए. राम शंकर। साथ में एम.एस.एम.ई. पटना के निदेशक श्री प्रदीप कुमार।

कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। ( बाँये से तीसरे )। उनकी बाँयी और एम.एस.एम.ई. पटना के निदेशक श्री प्रदीप कुमार। दाँयी ओर आई.सी.ए.आई. पटना चैप्टर के उपाध्यक्ष सीए राम शंकर एवं अन्य।

दी इंस्च्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर द्वारा MSME YATRA एवं MEME SETU कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल एवं एमएसएमई पटना के निदेशक श्री प्रदीप कुमार द्वारा किया गया।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का स्वागत आईसीएआई पटना चैप्टर के उपाध्यक्ष सीए राम शंकर ने किया।

## पहली किस्त का हिसाब देते ही मिलेगी अगली राशि

**उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने दिये निर्देश, दूसरी किस्त में देरी न हो**

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने पर तत्काल दूसरी किस्त मिलेगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने पिछले दिनों विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान इससे संबंधित निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहली किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद तत्काल दूसरी किस्त का भुगतान किया जाए। इसमें किसी स्तर पर कोई कोताही न हो। उन्होंने विलंब करने वाले अधिकारी व कमचारियों को चेतावनी भी दी।

**योजना के लाभ के लिए काउंसिलिंग भी होगी :** विभाग ने सुस्त और निष्क्रिय लाभुकों को भी चेतावनी दी है। कहा है कि चयनित लाभुकों को यदि प्रशिक्षण या योजना का लाभ लेने में दिलचस्पी नहीं है तो उनका चयन रद्द किया जाए। इसके पहले उनको 15 दिनों की मोहलत दी जाए। उनसे इस अवधि में जवाब मांगा जाए। इसके बाद कार्रवाई हो। हालांकि चयनित लोगों को योजना के लाभ को लेकर काउंसिलिंग भी की जाएगी। उन्हें योजना के कार्यान्वयन को लेकर प्रेरित किया जाएगा। विभाग में बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी हैं, जिनका चयन तो हो गया है लेकिन उनकी दिलचस्पी योजना को लेकर नहीं है। लंबे समय से उन्होंने कोई काम इस दिशा में नहीं किया है। अपने उद्यम को लेकर उनकी कोई गतिविधि भी नहीं है। **( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.10.2022 )**

## बियाडा की जमीन अब गैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी

**बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन को मंजूरी**

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहने नीति 2016 (यथा संशोधित 2020) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी है। नयी नीति के अनुसार अब बियाडा की जमीन मैनुफैक्चरिंग यूनिट के अलावा सेवा सेक्टर के लिए भी आवंटित की जायेगी। अब यह जमीन आइटी पार्क (डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ शॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र और इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन के लिए भी दी जायेगी। साथ ही स्टार्टअप को-वर्किंग स्पेट एवं स्टार्टअप हब के लिए भी जमीन

आवंटित की जा सकेगी। औद्योगिक नीति में संशोधन के बाद अब बियाडा की जमीन ग्रेड-ए वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क (बियाड़ा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप) और रिसर्च लैब व टेस्टिंग लैब के लिए भी आवंटित की जायेगी।

**(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.10.2022)**

## उद्यमियों के लिए आसान होगा कामकाज

• शीतकालीन सत्र में आएगा बिल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कर चुके हैं पुष्टि • नियमों में परिवर्तन से सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए नहीं रखना पड़ेगा लाइजनिंग अधिकारी • 1500 से अधिक प्रविधान कारोबारी नियामक से जुड़े • 800 से अधिक नियमों में गलती पर जेल की सजा का प्रविधान • कारोबार संबंधी समी फार्म को डिजिटल रूप में ही भरना बनाया जा सकता है अनिवार्य • 25-30% नियम ऐसे हैं, जिन्हें संसद की मंजूरी से बनाया गया है

सरकार बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियम बदलने जा रही है और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसकी पुष्टि कुछ दिनों पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी। अगर ऐसा होता है तो छोटे-बड़े मैन्यूफैक्चरर्स को सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए लाइजनिंग अधिकारी नहीं रखना होगा।

अभी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को चलाने में सैकड़ों ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनकी अवहेलना पर उद्यमियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए 100 से अधिक श्रमिकों वाले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले उद्यमी सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली चूक से निपटने के लिए सालाना 10-15 लाख रुपये खर्च कर लाइजनिंग अधिकारी रखते हैं। ताकि उनकी यूनिट बिना किसी बाधा के चलती रहे।

**(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.10.2022)**

## मुजफ्फरपुर में फार्मा व सर्जिकल पार्क बनेगा

• पार्क में दवा, पैथोलॉजी और सर्जरी का सामान बनेगा • इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की जमीन पर बनेगा पार्क • 1996 से बंद पड़ी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की फैक्ट्री • आईडीपीएल की 25 एकड़ जमीन का आवंटन हो चुका है रद्द • 65 एकड़ में आईडीपीएल की फैकिट्रयाँ थीं

सूबे में सर्जिकल व फार्मा पार्क स्थापित होगा। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र की इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) की जमीन पर इसे विकसित किया जाएगा। फिलहाल आईडीपीएल की फैक्ट्री बंद है। राज्य सरकार इसकी जमीन वापस लेगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

**(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.10.2022)**

## औद्योगिक विकास के लिए सरकार के पास है पर्याप्त राशि : संदीप

संदीप पौण्डरिक, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में को कारगिल विजय सभा भवन में उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर श्री पौण्डरिक ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग विस्तार के साथ उद्यमियों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं निर्धारित शर्तो के अधीन सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास औद्योगिक विकास हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है। इसलिए इच्छुक उद्यमी उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य सुविधाओं को लाभ लेने के लिए आगे आएँ। उन्होंने यह भी कहा कि जिला उद्योग केन्द्र बैंकिंग ईकाई एवं जीविका आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिक-से-अधिक उद्यमियों तक पहुचाएँ तथा इस क्रम में वर्तमान में संचालित योजनाओं से भी संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन हेतु सहयोग की भावना से कार्य करें।

**(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 13.10.2022)**

## चैम्बर के सम्मानित सदस्य एवं पूर्व कार्यकारिणी सदस्य श्री जुगल किशोर झुनझुनवाला जी नहीं रहे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सम्मानित सदस्य एवं चैम्बर के कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे श्री जुगल किशोर झुनझुनवाला का निधन दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को हो गया। स्व0 झुनझुनवाला के निधन से चैम्बर मर्माहत है।

स्व0 झुनझुनवाला जी की सामाजिक एवं धार्मिक कार्यो में गहरी रूचि थी। कई सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों में स्व0 झुनझुनवाला जी ने सक्रीय एवं सार्थक भूमिका निभाई। यों तो स्व0 झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे परन्तु वे चैम्बर सदस्यों के हृदय में सदैव बने रहेंगे।

दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को चैम्बर में स्व0 झुनझुनवाला के निधन पर शोक सभा में दो मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया गया।

चैम्बर द्वारा प्रेषित शोक प्रस्ताव में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा श्री जुगल किशोर झुनझुनवाला के निधन पर गहरी शोक एवं संवेदना व्यक्त करते हुए सर्व शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

## पीएम गतिशक्ति : सूबे को मिली 250 करोड़ की पहली किस्त

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बेहतर होगी। उद्देश्य, उद्योग के लिए समय पर कच्चा माल और उत्पाद को बाजार पहुँचाने के रास्ते सुगम बनाना है। इसके लिए केन्द्र ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत राज्य के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास के लिए केन्द्र, बिहार को 500 करोड़ देगा। इस राशि में से 82 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन की खरीद पर खर्च होगा। 1करोड़ की लागत से पीएम गतिशक्ति डाटा सेंटर बनेगा। योजना की 250 करोड़ रुपए की पहली किस्त स्वीकृत हो गई है। 3 अक्टूबर, 2021 को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति-मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया था। इसमें भारतमाला, सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह, उड़ान जैसी बुनियादी ढांचा योजनाएँ शामिल होंगी।

**बिहार में 17 औद्योगिक क्षेत्र में होगा काम**

| प्रोजेक्ट का नाम | (करोड़ में) |
|---|---|
| पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना | 50.00 |
| औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर पटना | 88.42 |
| औद्योगिक क्षेत्र भागलपुर का विकास | 30.00 |
| औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का विकास | 32.00 |
| औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग पश्चिम चंपारण | 31.00 |
| औद्योगिक क्षेत्र बिहटा फेज-2 पटना | 42.25 |
| औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर का विकास | 60.00 |
| औद्योगिक क्षेत्र लोहट फेज- 2 मुधबनी | 08.60 |
| औद्योगिक क्षेत्र बनमंखी पूर्णिया | 05.51 |
| औद्योगिक क्षेत्र वारसलीगंज, नवादा | 06.67 |
| औद्योगिक क्षेत्र गोरौल वैशाली | 06.62 |
| औद्योगिक क्षेत्र पंडौल मधुबनी | 03.92 |
| औद्योगिक क्षेत्र सीवान | 02.80 |
| औद्योगिक क्षेत्र न्यू सीवान | 02.50 |
| औद्योगिक क्षेत्र हथुआ फेज-2 गोपालगंज | 04.84 |
| औद्योगिक क्षेत्र लोहट फेज-1 मुधबनी | 08.10 |

| प्रोजेक्ट का नाम | ( करोड़ में ) |
|---|---|
| ग्रोथ सेंटर बेगूसराय | 36.70 |
| जमीन अधिग्रहण के लिए | 82.00 |
| पीएम गतिशक्ति डाटा सेंटर | 01.00 |
| **कुल** | **503** |

( साभार : दैनिक भास्कर, 1.10.2022 )

**बिहार सरकार**
उद्योग विभाग
**खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय**

## सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का सुनहरा मौका

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादक संगठन एवं स्वंय सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित/ क्षमता विस्तार/ आधुनिकरण करने हेतु पूँजीगत अनुदान**

**व्यक्तिगत निवेशक** ( Individual investor )

- परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से ( अधिकतम रू. 10 लाख) पूँजीगत अनुदान।
- लाभार्थी का अंशदान कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए।

**किसान उत्पादक संगठन**

- परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से पूँजीगत अनुदान।
- अनुदान की अधिकतम राशि परियोजना लागत 35 प्रतिशत।

**स्वयं सहायता समूह**

- खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वंय सहायता समूहों के प्रति सदस्य को अधिकतम 40,000/- रुपये की प्रारंभिक पूँजी।
- एस. एच. जी. के सदस्यों की व्यक्तिगत इकाई पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से ( अधिकतम रू. 10 लाख) पूँजीगत अनुदान।
- एस.एच.जी. के फेडरेशन द्वारा स्थापित करने वाले इकाई पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से पूँजीगत अनुदान।

**सामान्य सुविधा केन्द्र**

- सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से पूँजीगत अनुदान।

**वोकल फार लोकल**

सुविधाजनक ऑनलाइन आवेदन फार्म
https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#Login
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित मॉडल
डी. पी. आर. नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
niftem-t.ac.in/olapp/pmfme/web/material.php
niftem.ac.in/site/internal_NIFTEMosps
हेल्पलाई नं.: 18003456214
"खाद्य प्रसंस्करण मे सूक्ष्म उद्यमो के विकास में तत्पर"

**संपर्क करें :** संबंधित जिला उद्योग केन्द्र एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
Email : vocal-local@bihar.gov.in

**(Source : I-next, 15.10.2022)**

## राज्य में छह और नये औद्योगिक क्षेत्र

बिहार में छह नये औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। यह औद्योगिक क्षेत्र बियाडा के जरिये संचालित होंगे।

अधिसूचित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में पटना जिले में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र, सुपौल औद्योगिक क्षेत्र, सहरसा जिले में बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर जिले में डुमरांव औद्योगिक क्षेत्र, रोहतास जिले में औद्योगिक क्षेत्र सासाराम और खगड़िया औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। नये औद्योगिक क्षेत्र में पाँच सौ एकड़ से अधिक जमीन उद्योगों के लिए आवंटित की जायेगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों में अब निवेश का रास्ता खुल गया है। यहाँ के औद्योगिक प्लॉट की कीमत भी निर्धारित की जायेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 299.85 एकड़, सुपौल औद्योगिक क्षेत्र में 93.33, बैजनाथ औद्योगिक क्षेत्र में 48.9, डुमरांव औद्योगिक क्षेत्र में 9.16, सासाराम औद्योगिक क्षेत्र में 79.46 और खगड़िया औद्योगिक क्षेत्र में 4.347 एकड़ जमीन उपलब्ध है। बियाडा नियंत्रित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 74 से बढ़ कर अब 80 हो गयी है। जानकारी के मुताबिक चीनी मिलों से ली गयी जमीन भी अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी।

**औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित होने के फायदे :** भूमि की उपयोगिता (लैंड कन्वर्जन) में बदलाव के लिए अनापत्ति की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए कृषि जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं होगी। **( विस्तृत : प्रभात खबर, 15.10.2022 )**

## अंतिम सांस ले रहा बल्ब उद्योग, 'रोशनी' को अनुदान की आस

रोशनी तो वही, पर बल्बों का स्वरूप बदल गया। उस स्वरूप के साथ स्वयं को बदल नहीं पाने का दंश यह कि जहाँ ढाई-तीन हजार लोग काम करते थे, वहाँ आज सन्नाटा पसरा है। वैसे, यह आशा बनी हुई है कि शायद यह दीपावली फिर नई रोशनी लेकर आए। बात पटना सिटी की, जिसे कभी लैंप सिटी कहा जाता था। यहाँ के बल्ब उद्योग एक के बाद एक बंद होते चले गए। बिहार का वह औद्योगिक केन्द्र, जहाँ घरेलू से लेकर हवाई जहाज तक में लगने वाले बल्ब बनाए जाते थे। पूरे देश में यहाँ से बल्ब भेजे जाते थे। 1990 के आसपास तक यहाँ करीब दो सौ कारखाने हुआ करते थे, पर धीरे-धीरे बंद होते चले गए। 2014 के बाद जब एलइडी बल्ब चलन में आ गए तो जो भी बची खुची इकाइयाँ थीं, वे भी बंद हो गईं। सवाल औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन का है, जिस पर त्वरित पहल की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि लोगों को काम मिल सके और अर्थव्यवस्था को सहारा।

वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत पटना सिटी के बल्ब उद्योग के पुनरुद्धार की योजना भी बनाई गई। लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से बल्ब उद्योग का निबंधन किया गया। इसका अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट भी बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई और स्वीकृत भी हो गई। बाद में सोसाइटी की जगह कंपनी के रूप में काउंसिल आफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिंग नाम से निबंधन कराया गया। उद्योग के लिए लीज पर जमीन ली गई। उद्योग विभाग ने 10 करोड़ रुपये का अनुदान भी स्वीकृत किया। एक नई आशा जगी, हालांकि अनुदान अभी तक मिला नहीं है।

काउंसिल आफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिंग के अध्यक्ष रणजीत कुमार जायसवाल ने कहा कि यहाँ का बल्ब उद्योग मशहूर था। इसके पुनर्जीवन की दिशा में पहल की गई है। अनुदान की राशि मिल जाती है तो जापानी मशीन से इलेक्ट्रानिक उपकरणों के किट तैयार होंगे। इससे एलईडी बल्ब, पेन ड्राइव से लेकर टीवी तक के किट बनाए जा सकेंगे। मशीन ऐसी होगी, जिससे 12 घंटे में नौ वाट के 85 हजार बल्ब बन सकेंगे। दीपावली से यह आशा है कि बल्बों की रोशनी फिर लौट आए। **( विस्तृत : दैनिक जागरण, 8.10.2022 )**

## पैकेट बंद-फ्रोजन पराठा महंगा, 18% जीएसटी लगेगा

पैकेटबंद या फ्रोजन पराठे के शौकीनों को अब इसके लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी। गुजरात के अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) ने एक आदेश में कहा है कि पराठे बनाने में बेशक गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह सामान्य रोटी की तरह नहीं है। पाँच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वाले उत्पादों की श्रेणी में नहीं आता। इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एएएआर ने कहा कि पराठा सामान्य रोटी की तरह नहीं है। गेहूँ का आटे जैसी सामान्य सामग्री होने के बावजूद इसे बनाने में अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। **( साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2022 )**

## बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री गोविन्द कानोडिया, पटना सिटी अधिवक्ता संघ, व्यवहार न्यायालय, पटना सिटी के सत्र 2022–24 के लिए संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुए हैं।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री कानोडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

## EXPORTERS FEAR LIQUIDITY HIT AFTER GST EXEMPTION ENDS

The government's move to withdraw the GST exemption on export freight at the start of the month has made exporters nervous as they expect liquidity to shrink at a time when they are dealing with weak demand in advanced countries, prompting them to seek a relook.

From October 1, GST on ocean freight will have to be paid at 5%. while exports by air billed to customers in India attracts 18% levy.

While officials have argued that there was no need to extend the benefit, given that the refund process has become easier, exporters argued that it can take up to three months, if not more, to get the money back. The process is not completed until the returns are filed and the deadline for filing is by 20th of every month for transactions in the previous month. With interest rates rising and payment cycles from overseas buyers getting longer, exporters said, there was a need for additional liquidity.

"The recessionary trends have led to tough competition from other countries in international market... International buyers have already started delaying accepting orders. Thus, inventory cost in holding export consignments in India is also increasing," said Apparel Export Promotion Council Chairman Naren Goenka.

He and other exporters have argued that freight costs will rise. "Non-extension of notification has caused panic and uncertainty adding to the liquidity challenges of the exporters...overseas freights have gone up by 300-350% from pre-Covid level and though there is little correction in the freight rate recently, freights are still 200-250% more than 2019 level," Fieo president A Sakthivel has said in a letter to FM Nirmala Sitharaman, while seeking an extension.

Tax practitioners too sought government intervention. "If exemption is not extended or alternatively ITC of IGST is not allowed, it may turn out to be death knell of Indian shipping lines and freight forwarders," said tax lawyer R. S. Sharma.

**(Sourec : T. O. I , 8.10.2022)**

## जीएसटी संग्रह में बिहार बनेगा उत्कृष्ट : पाठक

केन्द्रीय जीएसटी में आयुक्त (ऑडिट) का पदभार 2002 बैच के आईआरएस अधिकारी डॉ. यशोवर्द्धन पाठक ने संभाला। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के साथ ही विभागीय कार्यों की जानकारी ली और मौजूदा टैक्स संग्रह के स्थिति की समीक्षा की। कहा कि टैक्स संग्रह में भी बिहार उत्कृष्ट राज्य बनेगा। इससे पहले वे नोएडा में जीएसटी अपर आयुक्त के पद पर तैनात थे।

डॉ. पाठक मूल रूप से बक्सर जिला के नियाजीपुर गाँव के रहने वाले हैं। परंतु उनका पूरा परिवार झारखण्ड के धनबाद में रहता है। डॉ. पाठक ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि बिना व्यापारी वर्ग को परेशान किये टैक्स संग्रह बढ़ाना और इसमें हो रही सभी तरह की गड़बड़ी रोकना है। उनका प्रयास बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर और एक सक्षम राज्य के तौर पर प्रस्तुत करना है।

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.10.2022 )**

## सावधान! आयकर का फर्जी नोटिस भेजकर रहे हैं ठगी

**• फर्जी नोटिस की सत्यता ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट पर जाकर मी जाँची जा सकती है • कई लोग तो आयकर का नोटिस आते ही धबराकर बिना सत्यता जाँचे पैसे दे देते हैं**

जालसाजों ने अब ठगी का नया ट्रेंड अपनाया है। आयकर विभाग के नाम पर गलत या फर्जी नोटिस भेजकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कोरोना काल से आयकर से संबंधित मामलों की सुनवाई फेसलेस, वर्चुअल या जरूरत पड़ते पर ऑनलाइन शुरू होने से भी विभाग के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा बढ़ गया है।

**ऑनलाइन भी अब भेजी जाती है नोटिस की कॉपी :** आज कल तो अधिकतर नोटिस की कॉपी सिर्फ ऑनलाइन ही भेजी जाती है। इस मेल में एक विभागीय लिंक भी दिया होता है, जिस पर क्लिक करके कोई पूरी स्थिति से अवगत हो सकते हैं। आयकर विभाग की तरफ से भेजे गये सभी तरह के ई-मेल में एक हेल्पलाइन नंबर या संबंधित कार्यालय का नंबर भी रहता है, जिस पर भी फोन करके स्थिति जानी जा सकती है।

**ठगी से बचने के लिए यह करें :** 1. नोटिस मिलने पर आयकर के क्षेत्रीय या पास के कार्यालय में जाकर पड़ताल कर सकते हैं। 2. बिना डीन नंबर वाले नोटिस पर किसी तरह का संज्ञान न लें और इसकी शिकायत करें।

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.10.2022 )**

## सड़क बनने के चौथे वर्ष में ही मरम्मत प्रक्रिया शुरू होगी

**• 5 साल पूरा होने के पहले ही डीपीआर बना लेगा विमाग • विभाग ने सड़कों को बेहतर बनाए रखने को लिया है निर्णय**

**नई व्यवस्था :** ग्रामीण कार्य विभाग राज्य की ग्रामीण सड़कों को हर हाल में बेहतर बनाए रखने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग ने तय किया है कि सड़कों के निर्माण के साथ ही उसकी मरम्मत की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके तहत सड़क निर्माण के चौथे वर्ष में ही मरम्मत के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी।

**( विस्तृतः हिन्दुस्तान, 13.10.2022 )**

## चेक बाउंस होने पर दूसरे खाते से कट जाएगा पैसा

**चेक बाउंस के मामलों से सख्ती से निपटने की तैयारी**

सरकार चेक बाउंस के बढ़ते मामलों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। उसमें कई सुझाव आए। यदि इन्हें अमल में लाया जाता है तो चेक बाउंस होने पर संबंधित व्यक्ति के दूसरे खाते से पैसा काटा जाएगा। ऐसे चेक जारी करने वालों को नया बैंक अकाउंट खोलने पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल देशभर की अदालतों में चेक बाउंस के लाखों मामले लंबित हैं। सरकार का मंशा है कि कानूनी प्रक्रिया से पहले ही कुछ कदम उठाकर ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए। हालांकि ये सुझाव लागू करने से पहले सरकार कानूनी राय लेगी।

**अभी 2 साल तक की सजा :** अभी चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) एक्ट के तहत की जाती है। यह एक दंडनीय अपराध है। दोष साबित होने पर चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दो साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अदालतों में लंबित कुल आपराधिक मामलों में एनआई एक्ट के मामलों की हिस्सेदारी लगभग 9% है।

**सख्ती के लिए ये सुझाव :** • चेक जारी करने वाले के दूसरे खातों से पैसा काट लेना • चेक बाउंस के आरोपी के नए खाते खोलने पर पाबंदी • चेक बाउंस के मामले को कर्ज में चूक की तरह देखना • चेक बाउंस की जानकारी क्रेडिट स्कोर कंपनियों को देना • चेक जारीकर्ता के क्रेडिट स्कोर कम करना।

**33 लाख से ज्यादा चेक बाउंस के मामले अदालतों में लंबित :** इस वित्त वर्ष की शुरूआत तक देश में 33 लाख 44 हजार से ज्यादा चेक बाउंस के मामले अदालतों में लंबित थे। दिसम्बर 2021 से अप्रैल 2022 तक चेक बाउंस के सात लाख से भी ज्यादा मामले अदालत पहुँचे। सबसे ज्यादा चेक बाउंस के मामले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हैं।

**( साभार : दैनिक भास्कर, 11.10.2022 )**

**वित्त मंत्रालय**
भारत सरकार

**व्यापार को सरल बनाने की दिशा में एक और कदम**

## ई-इनवॉइस

उन करदाताओं*के लिए माल अथवा सेवाओं, या दोनों की B2B आपूर्ति, या निर्यात के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना अनिवार्य है, जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर पिछले किसी वित्तीय वर्ष में रू 10 करोड़ से अधिक है

ई-इनवॉइस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा दिया गया विशिष्ट इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है

**ई-इनवॉइस के लाभ**

• ई-वे बिल का स्वत: जनरेशन • एकसमान प्रारुप • प्रतिलेखन (Transcriptional) त्रुटियों में कमी • कम कागजी कार्रवाई • जीएसटी पोर्टल को स्वत: रिपोर्टिंग • इनवॉइस का निर्बाध हस्तांतरण • स्वत: पॉपुलेटेड जीएसटी रिटर्न • अनुपालन का कम भार

अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना सं. 13/2020-केन्द्रीय कर दिनांक 21.03.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 17/2022- केन्द्रीय कर दिनांक 1.8.2022, को देखें

*छूट प्राप्त श्रेणियों के करदाताओं का विवरण जानने के लिए कृपया स्कैन करें

**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

**(साभार : हिन्दुस्तान, 7.10.2022)**

## अगले बजट में आर्थिक वृद्धि पर जोर होगा : सीतारमण

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत का अगला वार्षिक बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से निपटने में भी मदद मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन डीसी आईं वित्त मंत्री ने यहाँ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद से संवाद के दौरान एक सवाल के जवाब में यह कहा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, आगामी बजट के बारे में कुछ विशेष बता पाना अभी जल्दबाजी होगी और यह मुश्किल भी है। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो वृद्धि की प्राथमिकताएँ सबसे ऊपर रहेंगी। मुद्रास्फीति की चिंताओं से भी निपटना होगा। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि आप वृद्धि को किस प्रकार बरकरार रखेंगे। बजट के लिए तैयारियाँ दिसम्बर से शुरू हो जाती हैं।

**जीडीपी दर 7% रहने की उम्मीद :** पीएचडीसीसीआई ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखने हुए चालू वित्त वर्ष में जीडीपी दर छह से सात फीसदी रह सकती है। उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष साकेत डालमिया ने कहा कि उत्पादन में तेजी आई है और देश में मजबूत मांग है।

**आरबीआई की सराहना :** आईएमएफ ने भारत में मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त करने पर भारतीय रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सराहना की। आईएमएफ के मौद्रिक एवं पूंजी बाजार विभाग में उप खंड प्रमुख गार्सिया पास्क्वाल ने कहा, 'मई से ही तय सीमा से ऊंचे स्तर पर बनी हुई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति को सख्त करके उचित ही किया है।

**स्टार्टअप को हर संभव मदद मिलेगी :** सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे स्टार्टअप से बात करने के लिए तैयार है जो देश से जाने पर विचार कर रहे हैं और उनके मुद्दों का समाधान इस तरह निकालने का प्रयास करेगी जिससे कि उन्हें देश में ही अपना आधार बनाए रखने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं स्टार्टअप से संवाद किया है और सरकारी नीतियों की वजह से अनुकूल माहौल बना है जिसके परिणामस्वरूप आज भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। वित्त मंत्री ने कहा, हमने उनकी चिंताओं का समाधान करने का अधिकाधिक प्रयास किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2022)**

## नोटबंदी पर रिजर्व बैंक और सरकार को नोटिस

**सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 9 नवंबर तक बताएँ किस कानून से 1000, 500 के नोट बंद किए**

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने 9 नवम्बर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत उन्होंने 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए थे। कोर्ट ने सरकार और आरबीआई को हलफनामे में अपना जवाब देने को कहा है।

**पूरी तरह से अधिकृत नहीं :** याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26 (2) किसी खास मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करता है। धारा 26 (2) केन्द्र को एक खास सीरीज के करेंसी नोटों को रद करने का अधिकार देती है, न कि संपूर्ण करेंसी नोटों को। अब इसी का जवाब सरकार और रिजर्व बैंक को देना है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 13.10.2022)**

## राँची-आरा एक्सप्रेस अब सप्ताह में तीन दिन चलेगी

18639/18640 राँची-आरा-राँची एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से हफ्ते में एक की जगह तीन दिन चलेगी। इस ट्रेन के समय में भी आंशिक संशोधन किया गया है।

रेलवे की ओर से इस ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी का शुभारंभ केन्द्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार को आरा में करेंगे। अब यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार, सोमवार एवं गुरुवार को राँची से आरा के लिए प्रस्थान करेगी। इसी तरह 18639 आरा-राँची एक्सप्रेस 16 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को आरा से राँची के प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया समेत आसपास के जिले की लाखों की आबादी को फायदा होगा। 15 अक्टूबर से 18640 राँची-आरा एक्सप्रेस 07.55 बजे के बदले 07.25 बजे आरा पहुँचेगी। जबकि 18639 आरा-राँची एक्सप्रेस 16 अक्टूबर से 10.00 बजे के बदले 09.30 बजे आरा से राँची के लिए प्रस्थान करेगी। अन्य स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2022)**

## स्टार्ट अप्स को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक लोन

स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। लोन की गारंटी सरकार खुद देगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) को मंजूरी दी है। इसके तहत उन्हें तय सीमा तक गिरवी-मुक्त कर्ज (बिना किसी गारंटी के) दिया जाएगा।

वाणिज्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस संबंध में नोटिफकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, योग्य उधारकर्ता 6 अक्टूबर या उसके बाद मंजूर कर्ज इस योजना के तहत पात्र होंगे।

**दो तरह के लोन पर सरकार गारंटी देगी...**

1. लेनदेन की 80 परसेंट राशि तक लोन गारंटी कवर मिलेगा। ये लेनदेन आधारित गारंटी होगी। इसमें बैंक स्टार्टअप को लोन गारंटी देंगे।
   - जिन स्टार्टअप के लोन की स्वीकृत राशि 3 करोड़ तक होगी उन्हें 80 परसेंट राशि पर ट्रांजैक्शन बेस्ड कवर मिलेगा।
   - 3-5 करोड़ तक की लोन राशि वालों को 75 परसेंट पर गारंटी कवर मिलेगा।
   - वही 10 करोड़ रुपए तक के लोन वाले स्टार्टअप को 65 परसेंट राशि पर लोन गारंटी मिलेगी।

2. **वेंचर डेट फंड के लोन पर गारंटी कवर**

सीजीएसएस के तहत लोन पर अम्ब्रेला बेस्ड गारटी भी मिलेगी। इसमें सेबी के एआईएफनियमों के तरह रजिस्टर्ड वेंचर डेट फंड (वीडीएफ) को गारंटी कवर मुहैया कराया जाएगा।

**लोन गारंटी के हकदार होंगे ये स्टार्ट अप :** • उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त • जो लगातार कमाई कर रहे हो, और इसकी पुष्टि बीते 12 महीनों के ऑडिटेड मंथली स्टेटमेंट से हो रही हो • किसी बैंक या निवेशक संस्था का डिफॉल्टर न हो और जिसका लोन एनपीए घोषित न हुआ हो। **(Source : Inext, 12.10.2022)**

## देश को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ मिलेंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी।

**इन केन्द्रों पर बैंक की हर सुविधा मिलेगी :** यह डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स से संचालित की जाएंगी, जहाँ लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस-चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, सावधि जमा में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश देने, क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का विवरण देखने, करों का भुगतान करने, बिलों का भुगतान करने, नामांकन करने, आदि जैसी विभन्नि डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

**( विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.10.2022 )**

## कंपनियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली जल्द

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मौजूदा कंपनियों को सभी मंजूरियाँ एक ही जगह पर देने वाली एकल खिड़की प्रणाली का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि उनका विभाग एकल खिड़की प्रणाली के दूसरे चरण को दिसम्बर, 2023 तक लाने की तैयारियों में लगा हुआ है। जैन ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, फिलहाल नए निवेश के मामलों में एकल खिड़की के जरिये सभी तरह की मंजूरियाँ दी जाती हैं। अगर आप कोई नया निवेश कर रहे हैं तो आपको कारोबार शुरू के लिए मंजूरियाँ मिल सकती है। इसका दूसरा चरण लाने पर हमने काम शुरू कर दिया है जिसमें मौजूदा कारोबार के लिए मंजूरियों का प्रावधान होगा।

**नए कारोबार के लिए एक दिन में मंजूरी :** डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि पहले से चल रहे कंपनियों के लिए सभी मजूरियाँ जुटाने की यह एकल खिड़की होगी। उन्होंने कहा, आपके सारे रिटर्न इस एकल खिड़की पर ही होंगे। हमने इस बारे में अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया है। इससे मौजूदा कारोबार के लिए कामकाज काफी आसान हो जाएगा।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2022 )**

## जहानाबाद 100 डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला

लोगों को घर बैठे बैकिंग सुविधा का लाभ मिले इसके लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जिला, हर कस्वा और हर पंचायत डिजिटल हो, इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के तीन जिलों में डिजिटल बैंकिंग को लेकर अभियान चलाये जा रहे हैं। इसका प्रतिफल भी दिखाई देने लगा है। जहानाबाद, बिहार का पहला 100 फीसदी डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है और जल्द ही अरवल और शेखपुरा शत प्रतिशत डिजिटल बैंकिंग वाले जिला बनने वाले हैं। **( विस्तृत : प्रभात खबर, 12.10.2022 )**

## रुपया अब होगा ई-रुपी : भारत लॉन्च करेगा डिजिटल करंसी

**आरबीआई ने जारी किया कॉन्सेप्ट नोट**

**जेब में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं, एक्सचेंज कर सकेंगे**

भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक अपनी डिजिटल करंसी 'ई-रूपी' लॉन्च कर देगा। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला बड़ा देश होगा। वैसे 11 देश डिजिटल करंसी लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन, ये छोटे देश हैं। जैसे बहामास, जमैका, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरिबियन के आठ देश। चीन में पिछले दो साल से डिजिटल करंसी पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर है और टेस्टिंग जारी है। वहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अभी रिसर्च चल रही है। आरबीआई ने कहा कि वह भारत में पायलट आधार पर डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लॉन्च करेगा। पायलट प्रोजेक्ट में ई-रुपी का इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में किया जा सकेगा। बैंक ने इसके उद्देश्यों, फायदों और जोखिमों को लेकर एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि डिजिटल करंसी को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान डिजिटल करंसी जारी करने का ऐलान किया था। पायलट प्रोजक्ट के लिए देश के 4 सकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया गया है।

- **डिजिटल रूपया क्या है ?**

डिजिटल करंसी ई-रूपी कागजी मुद्रा का इलेक्ट्रोनिक रूप होगा। इसे रूपए में बदला जा सकेगा। नकदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी।

- **इसके फायदे ?**

कैशलेश पेमेंट कर सकेंगे। अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने जरूरत नहीं पड़ेगी। निजात बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी। नकद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। लेनदेन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी।

- **इसकी खासियत ?**

आम नागरिक, संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां भी इस्तेमाल कर सकेगी। इसे व्यावसायिक बैंक से एक्सचेंज किया जा सकेगा।

- **मौजूदा वर्चुअल करंसी से ई-रूपी कैसे अलग होगा ?**

ई-रूपी का पूरा दायित्व रिजर्व बैंक का होगा। आरबीआई के अनुसार, यह वैध डिजिटल करंसी होगी। ई-रूपी से पेमेंट करने पर बैंकों के बीच सेटलमेंट की प्रकिया खत्म हो जाएगी। टाइम जोन का झंझट नहीं रहेगा रियल टाइम पैसा ट्रांसफर हो सकेगा।

- **कितने प्रकार का ई-रूपी होगी ?**

डिजिटल करंसी दो प्रकार की होगी। खुदरा इस्तेमाल के लिए रिटेल और थोक इस्तेमाल के लिए होलसेल ई-रुपी। रिटेल ई-रुपी का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर व होलसेल ई-रुपी चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए होगी। जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान आदि।

- **मैं कब इस्तेमाल कर सकूँगा?**

इस साल के अंत तक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। शुरुआत में इसका थोक कारोबार में इस्तेमाल होगा। **( साभार : दैनिक भास्कर, 8.10.2022 )**

## आरबीआई के अंकुश से नरम पड़ी महंगाई

- 10 फीसदी से नीचे थोक महंगाई रहने का अनुमान अक्तूबर में
- 1.90 फीसदी रेपो दर बढ़ा चुका है रिजर्व बैंक पांच माह में

देश में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयास थोक मुद्रास्फीति पर दिखने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

**( साभार : हिन्दुस्तान 15.10.2022 )**

## पूर्व मध्य रेल क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेड आर यूसीसी) की दिनांक 19.09.2022 को आयोजित बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल द्वारा भेजे गए सुझाव

- **नए रैक साइडिंग से संबंधित सुझाव :** राज्य में मालों की आपूर्ति रेलवे के रेकों द्वारा सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु बिहार के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त रैक साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके साथ यार्ड की सुविधा भी संलग्न हो।
  वर्तमान रैक साइडिंग पर बुनियादी सुविधाओं यथा स्वच्छ जल, सफाई, शेड, पर्याप्त रोशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**माल यातायात से संबंधित सुझाव**

- रेलवे द्वारा माल को देरी से हटाने पर पेनाल्टी लगाया जाता है। सामान्य परिस्थिति में तो माल हटाने में देरी करने पर पेनाल्टी लगाना उचित है परंतु जब सारी परिस्थितियाँ ही व्यापारी के विपरीत हैं तथा "Force Maneure Clause" के अंतर्गत हो फिर भी रेलवे पेनाल्टी लगाता है तथा व्यापारियों द्वारा पेनाल्टी को माफ करने के आवेदन को निर्धारित समय में निष्पादन मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए इसलिए इस संबंध में उचित मार्गदर्शक दस्तावेज जारी करने की आवश्यकता है जिससे जमीनी हकीकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके।
- रेलवे का रैक पहुँचने पर मात्र 9 घंटा का समय खाली कराने को दिया जाता है जबकि बराबर रैक रात में ही पहुँचता है और उस समय मजदूर एवं ट्रकें उपलब्ध नहीं होने के कारण लगभग सभी व्यवसायियों को जुर्माना भरना पड़ता है अत: खाली कराने के लिए कम से कम 15 घंटे का समय दिया जाना चाहिए।
- सहरसा, लहेरियासराय, बिहारशरीफ में रेलवे साइडिंग मध्य शहर में स्थित है जहाँ 8: 00 बजे सुबह से 9: 00 बजे रात्रि तक नो एंट्री लगा दी जाती है जिससे व्यापारियों को माल हटाने के लिए बहुत कम समय मिलता है इसलिए इन स्थानों में वैकल्पिक रेलवे साइडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माल यातायात एवं उनका विवरण सुगमता से हो सके।

**रेलवे को सामानों की आपूर्ति से संबंधित सेवाएँ**

- भारत सरकार ने सभी प्रकार की खरीद में MSME Units से खरीद हेतु प्रतिशत निर्धारित किया है अत: उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्थानीय खरीद हेतु स्थानीय अनुशांगी उद्योगों को विकसित किया जाए।
- आज पूर्व मध्य रेलवे में अधिकांश खरीद ई-टेंडर के माध्यम से की जाती है। ई-टेंडर में प्रावधान रहता है कि समान रेलवे Consignee को पहुँचने पर कुल कितना खर्च रेलवे को देना होगा (मूल्य+टैक्स+ Actual Freight) उसकी तुलना हो। कई टेंडर में कई क्लाउज के तहत भाड़ा/टैक्स को अलग कर दिया जाता है जिससे रेलवे को नुकसान होता है एवं बिहार के उद्यमियों को भी नुकसान होता है। इसकी विसंगतियों को देखने की आवश्यकता है।

**यात्री सुविधाएँ**

उद्यमी एवं व्यवसायी रेलवे के सक्रिय उपभोक्ता हैं क्योंकि व्यापार के सिलसिले में उन्हें आमजनों से अधिक यात्रा करना पड़ता है अत: यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने हेतु हमारा निम्नलिखित सुझाव है-

- पटना-मुंबई, पटना-राँची, पटना-लखनऊ, पटना-दिल्ली, पटना-पुणे, पटना-बेंगलुरु, पटना-चेन्नई तथा पटना-हैदराबाद के बीच दुरंतो चलाई जानी चाहिए।
- पटना से कानपुर के बीच शताब्दी ट्रेन चलाई जानी चाहिए।
- रक्सौल-पटना के बीच इंटरसिटी चलाई जानी चाहिए।
- पटना से जबलपुर नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए।
- पटना से हावड़ा दुरंतो प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। साथ ही पटना से हावड़ा चलने वाली जनशताब्दी को रविवार के दिन भी चलाई जानी चाहिए।
- पटना-कोचीन एक्सप्रेस (16309/10) को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए और इसे सुपर फास्ट बनाया जाना चाहिए। क्योंकि दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गाड़ी है इसलिए इसमें बोगियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
- दूसरे राज्यों से पटना आने वाली तथा पटना से जाने वाली लंबी दूरी की सभी गड़ियों में बेड रोल, पैंट्री कार एवं जीवन रक्षक दवाओं की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- रेलवे ने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
- बर्थ आरक्षण में वरीय नागरिक को आवश्यक रूप से लोअर बर्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।
- **अब देश में स्थिति सामान्य हो गई है अत: पूर्व की भांति 58 साल से अधिक की महिलाओं एवं 60 साल से अधिक के पुरुषों को सभी ट्रेनों के सभी श्रेणी में रेल टिकट के दरों में दिए जाने वाले रियायत को पुन: प्रारंभ किया जाना चाहिए।**
- छपरा से पटना की दूरी मात्र 60 किलोमीटर है। यदि इस रूट पर अधिकाधिक मेमू / डेमू रेलगाड़ी का परिचालन प्रारंभ किया जाए तो छपरा, सिवान बलिया (यू. पी.) आदि के उद्यमियों, व्यवसायियों एवं आम लोगों को काफी सुविधा होगी। इससे लोग पटना में आकर दिन-भर में अपने कार्यों का निपटारा कर शाम तक अपने घर लौट सकेंगे।
- पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट खराब रहता है, शौचालय या बेसिन में लगा नल टूटा रहता है, पंखा खराब रहता है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है इसकी बराबर देख रेख हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- आवश्यक कार्यवस पटना आनेवाले पैसेंजर को ठहरने हेतु यथाशीघ्र रिटायरिंग रूम की सेवा पुन: बहाल किया जाना चाहिए।
- राजेन्द्र नगर हावड़ा (12351) एक्सप्रेस गाड़ी में एसी कोच पीछे लगाया जाता है इसे यदि आगे में लगाया जाता है तो यात्री एलिवेटर का उपयोग कर सकेंगे साथ ही हावड़ा में भी यात्री को पैदल कम चलना पड़ेगा इससे खासकर बुजुर्ग यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
- पटना में दैनिक यात्रियों के लिए हार्डिंग पार्क में रेलवे स्टेशन बनाए जाने का मामला काफी दिनों से लंबित है। इस कार्य को रेलवे की ओर से प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जाना चाहिए।
- रेल टिकट में 6 से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट का प्रावधान किया जाना चाहिए।

**रेलवे के इमरजेंसी कोटा के संबंध में**

**बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी सदस्य उद्यमी एवं व्यवसाई हैं और उन्हें कई बार अपने व्यवसाय के सिलसिले में अचानक बाहर जाना नितांत आवश्यक हो जाता है। अत: रेलवे के इमरजेंसी कोटा के तहत दिए जाने वाले आरक्षण के संबंध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुरोध को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।**

## स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लोड बढ़ा पाए जाने पर भी छह माह तक दंड नहीं

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में है बिजली कंपनी। इसके लिए कंपनी के सप्लाई कोड में परिवर्तन किया जा रहा है।

कंपनी के सीएमडी संजीव हंस के अनुसार नए और पुराने सभी श्रेणी के स्मार्ट प्री पेड मीटर उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

**(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.10.2022)**

## शक्तिकांत दास ने तेज वृद्धि का अनुमान जताया

रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पिछले महीने हुई बैठक में रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला बहुमत से लिए जाते समय कहा था कि तमाम भू-राजनीतिक झटकों के बीच भारत के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यस्थाओं में से एक रहने की उम्मीद है।

छह सदस्यीय एमपीसी ने गत 30 सितंबर को रेपो दर में लगातर तीसरी बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करते हुए रेपो दर को आधा प्रतिशत और बढ़ाकर 5.90 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) ने दास की अध्यक्षता में हुई एमपीसी की बैठक का ब्योरा 14.10.2022 को जारी किया। इसके मुताबिक, एमपीसी के छह में से पांच सदस्य 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने के पक्ष में थे जबकि आशिमा गोयल 0.35 प्रतिशत वृद्धि चाहती थीं। इस बैठक में गवर्नर दास ने कहा था कि आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे सुधर रही हैं लेकिन अभी इनके मिले-जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं।

**7 फीसदी वृद्धि का अनुमान :** आरबीआई गर्वनर ने बैठक में कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सात प्रतिशत वृद्धि का अनुमान अपने साथ जोखिम भी लिए हुए है। उन्होंने कहा था, चाहे जिस तरह के भी हालात पैदा हों, भारत के दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहने की उम्मीद है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ओर एमपीसी के सदस्य माइकल देवव्रत पात्रा ने इस बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के लिए एक नॉमिनल एंकर की भूमिका निभानी होगी ताकि देश वृद्धि के नए पथ पर बढ़ सके। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 15.10.2022)**

## पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू हुआ

**• सोनपुर मंडल संसदीय समिति की बैठक • कई सांसद और विधायकों ने दिये सुझाव**

सोनपुर मंडल की संसदीय समिति की बैठक सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में की गई। इसमें कई सांसद, मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। साथ ही सांसदों की ओर से एवं उनके प्रतिनिधियों ने रेल विकास व यात्री सुविधाओं में और वृद्धि एवं उसे सुदृढ़ करने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिये।

महाप्रबंधक ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत पूमरे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में शुरू किया गया है।

सांसदों ने आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़े कार्यो को प्राथमिकता से पूरा करने पर बल दिया। वहीं, बैठक में भविष्य की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सीपी आरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सांसदों द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दे एवं रेल के सर्वांगीण विकास के लिए अपने-अपने सुझावों को रखा गया। बैठक में मुख्य रूप से राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा, मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, कटिहार के सांसद दुलाल चन्द्र गोस्वामी, भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, वैशाली की सांसद वीणा देवी तथा समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज रहे।

कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के प्रतिनिधि विधायक अवधेश कुमार सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि केशव शाण्डिल्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस के प्रतिनिधि घनश्याम कुमार दाहा एवं अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार मंटू भी मौजूद रहे। **(साभार : हिन्दुस्तान 15.10.2022)**

## बिजली सुधार को 3056 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार

राज्य में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर लॉस घटने के लिए राज्य कैबिनेट ने दिनांक 13.10.2022 को 3056.42 करोड़ राशि की मंजूरी दी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए केंन्द्र सरकार ने 4248.63 करोड़ का अनुदान दिया है। इस योजना का नाम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) रखा गया है। इस योजना के तहत 7081.05 करोड़ राशि खर्च होगी। इसमें केन्द्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी खर्च कर रही है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी चयन के लिए टेंडर अपलोड किया गया है। चयनित एजेंसी को दिसंबर में काम अवार्ड किया जाएगा। जनवरी से एजेंसी के द्वारा काम शुरू किया जाएगा।

**बिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए के लिए के लिए होगा काम :** राज्य में बिलिंग सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए 400 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। इसके तहत यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) लागू होगा। वर्तमान समय में एनआईसी सिस्टमपर बिलिंग होती है। वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार पर साउथ बिहार के 17 जिलों में करीब 3525 करोड़ और नॉर्थ बिहार के 21 जिलों में करीब 3050 करोड़ राशि खर्च किया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर,14.10.2022)**

## बिजली : बिहार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल पूरे देश में लागू होगा

**• 10 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं बिहार में अब तक • 18 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है इस साल के अंत तक • पीपीटी से दिखायी गयी स्मार्ट मीटर की उपलब्धियाँ • पहले दिन बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हुई**

केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को बिहार की तर्ज पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर अपनाने को कहा है। शुक्रवार दिनांक 14.10.2022 को राजस्थान के उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह ने बिहार में स्मार्ट मीटर की उपलब्धियों को जानने के बाद सभी राज्यों को कहा कि वे बिहार मॉडल को अविलंब अपनाएँ। बिहार से इस बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार शामिल हुए। स्वास्थ्य कारणों से ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके।

**(विस्तृत : हिन्दुस्तान 15.10.2022)**

## बिजली दरों में वृद्धि पर नहीं हुआ कोई निर्णय

**• विनियाम आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया • दीपावली तक कई मसलों पर लिखित जानकारी मांगी • 15 फीसदी नुकसान के आधार पर हुई गणना**

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर बढ़ाने संबंधी कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने कंपनी की दलीलों व गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के पक्ष को सुना। हालांकि आयोग ने कोई निर्णय नहीं सुनाया और निर्णय सुरक्षित रख लिया।

पूर्व निर्धारित तिथि के तहत शुक्रवार दिनांक 14.10.2022 को हुई जनसुनवाई के दौरान विनियामक आयोग ने कंपनी से कई मसलों पर जानकरी मांगी। आधी-अधूरी जानकारी होने के कारण ही आयोग कोई फैसला नहीं ले सका। कंपनी की दलील थी कि आयोग ने अपने निर्णय में राज्य सरकार की ओर से मिले 1200 करोड़ के अनुदान की गणना नहीं की है। इससे कंपनी की आमदनी अधिक हो गई, जबकि इस अनुदान को शामिल कर लिया जाए तो कंपनी घाटे में रहेगी। बिजली संकट होने पर कंपनी बाजार लागत से काफी अधिक मूल्य पर खरीद कर लोगों को बिजली आपूर्ति की है। इसकी भी गणना नहीं की गई।

आयोग ने कंपनी को 15 फीसदी के नुकसान को आधार बनाकर गणना की है, जबकि केन्द्र की आरडीएसएस योजना में बिहार को 19.50 फीसदी पर नुकसान रखना है। कंपनी की इन दलीलों पर आयोग ने कई सवाल पूछे और उसे लिखित रूप से दिवाली तक आवश्यक कागत कार्यालय में जमा करने को कहा।

**आयोग ने दर में वृद्धि नहीं करने का फैसला दिया था :** 2022-23 के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने 23835.31 करोड़ की मांग की थी। बिहार की बिक्री से होने वाली आमदनी के बावजूद कंपनी ने 1184.41 करोड़ कम होने का

हवाला दिया था। आयोग ने सभी तथ्यों की समीक्षा कर बिजली कंपनी का खर्च 21545.97 करोड़ ही माना। बिजली की बिक्री से कंपनी को होने वाली आय के बाद मात्र 6.69 करोड़ का अंतर पाया और बिजली दरो में कोई वृद्धि नहीं की। इसी के विरोध में कंपनी ने बिजली दरों में वृद्धि करने के लिए संशोधित याचिका दायर की है। **( साभार: हिन्दुस्तान 15.10.2022 )**

## अब सॉफ्टवेयर देगा वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर

अब सॉफ्वेयर खुद वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। बीते सप्ताह पटना डीटीओ ने एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। सॉफ्टवेयर एजेंसी द्वारा वाहनों की बिक्री से संबंधित कागजात अपलोड करने और रजिस्ट्रेशन की राशि चुकाते के साथ ही वाहन का नंबर जेनरेट कर देता है, जिसे तुरंत निकाल कर एजेंसी के स्टाफ वाहन मालिक को दे देते हैं। डीटीओ श्रीप्रकाश ने बताया कि नये सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के कारण इस वर्ष दीपावली और धनतेरस पर बिकने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर देने में भी कोई देरी नहीं होगी।

**( साभार : प्रभात खबर, 9.10.2022 )**

## बीएच रजिस्ट्रेशन वाले वाहन का हस्तांतरण आसान होगा

### नई रजिस्ट्रेशन सीरीज बीएच के नियम बदले

केन्द्र सरकार ने व्यक्तिगत वाहनों के राज्यों के बीच सुगमता से हस्तांतरण के लिए शुरू की रजिस्ट्रेशन सीरीज बीएच (भारत सीरीज) के नियमों में बदलाव किए हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नए नियमों में निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के वाहनों के हस्तांतरण के लिए कंपनी द्वारा दिए गए वाहन क्रेता से संबंधित दस्तावेजों को अधिक तवज्जो दी गई है। मंत्रालय ने नए पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) को पिछले साल 26 अगस्त को अधिसूचित किया था। इस सीरीज के रजिस्टर्ड कराए गए वाहन के मालिकों को एक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। **( साभार : दैनिक भास्कर, 8.10.2022 )**

## गंगा पर एक और नए पुल निर्माण का रास्ता साफ

### बेगूसराय में गंगा पर यह तीसरा पुल होगा

बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछ रहा है। इसके माध्यम से राज्य के सुदूर से सुदूर इलाके को जोड़ने की कवायद चल रही है। अब बिहार में गंगा पर एक और नए पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बेगूसराय के मटिहानी से शाम्हो के बीच नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे आथिरटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) को भेज दिया है। बेगूसराय में गंगा पर यह तीसरा पुल होगा। बेगूसराय के मटिहानी से शाम्हो के बीच गंगा पुल का प्रस्ताव पूर्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था, पर इसे भारतमाला या फिर किसी अन्य योजना के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। इसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे एनएच आरिजनल योजना से अनुमति प्रदान कर दी। मंत्रालय के स्तर पर इस तरह की योजना के लिए दस हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्राविधान किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआइ को इस प्रोजेक्ट के संबंध में यह निर्देश दिया है कि पूरी प्राथमिकता के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जाए।

**गंगा पर बनने वाले पुल :** • शाहपुर-दिघवारा पुल • जेपी सेतु के समानातर फोरलेन पुल • गांधी संतु के समानांतर पुल • कच्चीदरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल • बख्तियारपुर-ताजपुर पुल • राजेन्द्र सेतु के समानांतर पुल • मनिहारी-साहिबगंज • भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल

**( साभार : आइनेक्स्ट, 7.10.2022 )**

## राम-जानकी मार्ग में सिवान से मशरख तक बनेगा फोर लेन

राम-जानकी मार्ग के पहले में बिहार के सिवान से मशरख तक 50 किमी लम्बाई में फोरलेन सड़क बनेगी। इसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1431,36 करोड़ की लागत के साथ स्वीकृति दी है।

**( विस्तृत : प्रभात खबर, 9.10.2022 )**

## एक अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी लागू

राज्य में एक अक्टूबर से नयी न्यूनतम मजदूरी दर लागू होगी। नयी संशोधित दर में 7 से 11 रुपये तक की वृद्धि की गई है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) के तहत मजदूरों को इस वृद्धि का लाभ दिया गया है।

**लागू की गयी नयी मजदूरी दर**

| कोटि | अभी | आज से |
|---|---|---|
| अकुशल | 366 रुपये रोजाना | 373 रुपये रोजाना |
| अर्धकुशल | 380 रुपये रोजाना | 388 रुपये रोजाना |
| कुशल | 463 रुपया रोजाना | 472 रुपया रोजाना |
| अतिकुशल | 566 रुपया रोजाना | 577 रुपया रोजाना |
| लिपिकीय | 10478 रुपया मासिक | 10688 रुपया मासिक |

**( विस्तृत : प्रभात खबर, 1.10.2022 )**

## मकान मालिक किरायेदार को जबरन बेदखल नहीं कर सकता है : हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि गैरकानूनी तरीके से कोई मकान मालिक असामाजिक तत्वों की सहायता से अपने किरायेदार को जबरन बेदखल नहीं कर सकता है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने पटना के फ्रेजर रोड स्थित एक होटल को राहत देते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि यदि मकान मालिक के साथ पुलिस की भी मिलीभगत भी हो तब भी हाइकोर्ट इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर आपराधिक रिट याचिका को मंजूर करते हुए पटना के एसएसपी तथा कोतवाली के थाना प्रभारी को याचिकाकर्ता होटल कंपनी को तुरंत उसके होटल परिसर का दखल वापस दिलाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट को बताया गया कि 24 फरवरी, 2022 की आधी रात में मकान मालिक ने असामाजिक तत्वों की सहायता से जबरन कंपनी की ऑफिस को खाली करा दिया और ताला जड़ दिया। पुलिस ने पीड़ित किराएदार की शिकायत सुनने की बजाय मकान मालिक का ही साथ दिया। कोर्ट ने इसे गंभीर घटना माना और कहा कि यह पुलिस की विफलता का अजीब उदाहरण है।

**( साभार : प्रभात खबर, 15.10.2022 )**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296